



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2013/फाल्गुन 7, 1934

No. 425]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2013/PHALGUNA 7, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2013

(आयकर)

का.आ. 461(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा—

(क) निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित आयकर आयुक्त, जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम (3) में संगत प्रविष्टियों में उल्लिखित स्थान पर है, निम्नलिखित समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करेगा

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती के विवरणों (इसके बाद "विवरण" के रूप में उल्लेख किया जाएगा) का संसाधन;
- (ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के अन्तर्गत विवरण के संसाधन से प्रकट होने वाली त्रुटियों को ठीक करना;
- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 के अन्तर्गत कटौतीकर्ताओं के बकाया कर दायित्व के विरुद्ध प्रतिदाय प्रतितुलित या समायोजित करना;
- (iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अन्तर्गत मांग का नोटिस जारी करना,

उक्त अनुसूची के कालम (4) में संगत प्रविष्टियों में उल्लिखित ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में;

(ख) अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित आयकर आयुक्त को उक्त अनुसूची के कालम (4) में संगत प्रविष्टियों में उल्लिखित ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों, जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्य निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने हेतु अधिकृत करना;

(ग) इस अधिसूचना के खंड (ख) में उल्लिखित अपर आयकर आयुक्तों या संयुक्त आयकर आयुक्तों को उक्त अनुसूची के कालम (4) में संगत प्रविष्टियों में उल्लिखित ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में कर-निर्धारण अधिकारियों, जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कार्य निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने हेतु अधिकृत करना, जिसके संबंध में ऐसे अपर आयकर आयुक्तों और संयुक्त आयकर आयुक्तों को इस अधिसूचना के खंड (ख) के अन्तर्गत आयकर आयुक्त द्वारा अधिकृत किया गया है।

अनुसूची

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आयकर आयुक्त, केन्द्रीकृत संसाधन प्रकोष्ठ (टीडीएस)	नई दिल्ली	1. सभी मामले जिनमें स्रोत पर कर कटौती का विवरण कटौतीकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के तहत प्रस्तुत किया जाना है। 2. सभी मामले जिनमें आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के तहत वेतन एवं लेखा अधिकारी या कोषागार अधिकारी या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति चाहे जिस नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऐसी कर कटौती के लिए कटौतीकर्ता सूचित करता है, द्वारा विवरण प्रस्तुत किया जाना है। 3. सभी मामले जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 या धारा 197 के तहत प्रमाणपत्र जारी किया गया है। 4. सभी मामले जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क के तहत घोषणापत्र प्रस्तुत किया गया है।

			5. सभी मामले जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उप-धारा (6) के तहत किसी भुगतान या राशि के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है। 6. सभी मामले जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के तहत स्रोत पर कर कटौती के बिना या कम दर पर कटौती किए गए किसी भुगतान या राशि के संबंध में विवरण या घोषणापत्र या सूचना प्रस्तुत की गई है। 7. कोई अन्य मामला या मामलों का वर्ग जिसके लिए बोर्ड समय-समय पर निर्देश दे।
--	--	--	--

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 17/2013/फा. सं. 187/5/2013-आ.क.नि.-I]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th February, 2013
(INCOME-TAX)

S.O. 461(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby—

- (a) directs that the Commissioner of Income-tax specified in column (2) of the Schedule hereto annexed, having his headquarters at the place specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, shall exercise the concurrent powers—
- (i) of processing of statement of tax deducted at source (hereinafter referred to as "statement") under sub-section (1) of section 200A of the Income-tax Act, 1961;
 - (ii) of rectifying the mistakes which are apparent from processing of the statement under section 154 of the Income-tax Act, 1961;
 - (iii) to set off or adjust refunds against outstanding tax liability of the deductor under section 245 of the Income-tax Act, 1961; and
 - (iv) to issue notice of demand under section 156 of the Income-tax Act, 1961,

in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule;

- (b) authorizes the Commissioner of Income-tax specified in column (2) of the Schedule to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to him, in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule;
- (c) authorizes the Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax, referred to in clause (b) of this notification, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officers, who are subordinate to them, in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule, in respect of which such Additional Commissioners or Joint Commissioners of Income-tax are authorized by the Commissioner of Income-tax under clause (b) of this notification.

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income-tax Authority	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Commissioner of Income-tax, Centralised Processing Cell (TDS)	New Delhi	1. All cases where the statement of tax deducted at source is liable to be furnished under Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961 by the deductor. 2. All cases where the statement is liable to be furnished by the Pay and Accounts Officer or Treasury Officer or Cheque Drawing and Disbursing Officer or any other person by whatever name called to whom the deductor reports the tax so deducted, under Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 30 of the Income-tax rules, 1962. 3. All cases where certificates have been issued under section 195 or section 197 of the Income-tax Act, 1961. 4. All cases where declaration has been furnished under section 197A of the Income-tax Act, 1961.

			5. All cases where information relating to any payment or sum has been furnished under sub-section (6) of section 195 of the Income-tax Act, 1961. 6. All cases where a statement or declaration or information has been furnished regarding any payment or sum without deduction of tax at source or deduction at a lower rate under Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961. 7. Any other case or class of cases which the Board may direct from time to time.
--	--	--	--

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 17/2013/F. No. 187/5/2013-ITA-I]

SURABHI SHARMA, Under Secy.

783 GI/13-2